

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Date of
order of
Proceeding

Order or Proceedings
Signature of
Magistrate

Presiding Officer

Signature of
Parties or
pleaders where
Necessary

Case No. 2002/16 of 20

आज आरक्षी केन्द्र निहाल के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक 24 मई 2017
को 11.7 द्वारा थाना की ओर से अपराध
को 2002/16 अंतर्गत धारा 345 अन्धकार से
भा0दं0सं0 / अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डं0पी0ओ0 श्री निहाल उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण निहाल 5/6 दासाराय शिवदे
2002/16 निवासी / निवासीगण 17 01/14 नाम
थाना निहाल जिला निहाल राज्य से
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री निहाल द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0दं0सं0 / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द0प्र0सं0 के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का गजीवन आपराधिक पंजी 600299/16
किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण के द0प्र0सं0 की
के प्रकरण में संज्ञान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

Date of
order or
proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

चूँकि मामला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः सक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा 244 सावधानी 22C मा 0 द 0 सं 0 /

अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियाँ विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टंकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 20,411.1 मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि

500 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक

क 0 5624 रसीद क 0 42 दी गई।

अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण का निष्पत्ति अनुसार प्रमाण

A.K. Gupta
Judicial Magistrate first class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

प्रमाण